

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठारीन अधिकारी-श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-66...../2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 /132.....

प्रार्थी
आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक
लिमिटेड सैकिण्ड पलोर,
मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल
मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी
बैंक के सामने, जयपुर जरिये
अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय
खण्डेलवाल

अप्रार्थीगण
बनाम
1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जेठ मल प्रजापत
प्रथम पता- पदमानिया बास, डीडवाना
द्वितीय पता- लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट, पंचनी
बाजार, डीडवाना
तृतीय पता- प्लाट नम्बर 33, पट्टा
नम्बर 101/2013-14, खसरा नम्बर
2945, कटला बास, डीडवाना
2. जेठमल पुत्र सूरजमल प्रथम पता-
पदमानिया बास, डीडवाना द्वितीय पता-
प्लाट नम्बर 33, पट्टा नम्बर
101/2013-14, खसरा नम्बर 2945,
कटला बास, डीडवाना
3. श्रीमती अनिता पत्नि श्री राजेन्द्र
प्रथम पता- पदमानिया बास, डीडवाना
द्वितीय पता- प्लाट नम्बर 33, पट्टा
नम्बर 101/2013-14, खसरा नम्बर
2945, कटला बास, डीडवाना
4. श्री रमेश प्रजापति प्रथम पता- डीडवाना
कचौरी हाउस गौलासर, डीडवाना द्वितीय
पता- प्लाट नम्बर 33, पट्टा नम्बर
101/2013-14, खसरा नम्बर 2945,
कटला बास, डीडवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित
प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋण की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द
करने के संबंध में।


आदेश

दिनांक: 06/12/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आरित्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं
पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/
ऋणी को रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख मात्र) दिनांक 06.03.2020 को ऋण उपलब्ध
करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- पट्टा




जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



नम्बर 101/2013-14, खसरा नम्बर 2945, प्लाट नम्बर 33, कटला बास, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन कुल क्षेत्रफल 354.80 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में मदन जांगिड़ की सम्पत्ति, उत्तर में लालचन्द सोनी की सम्पत्ति व दक्षिण में मोहन जी माली का प्लाट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 20.04.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 12,10,755.94/- (अक्षरे बारह लाख दस हजार सात सौ पचपन रुपये चौरानवें पैसे मात्र) दिनांक 09.04.2021 तक शेष देय व दिनांक 10.04.2021 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 03.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्त के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 12,10,755.94/- (अक्षरे बारह लाख दस हजार सात सौ पचपन रुपये चौरानवें पैसे मात्र) दिनांक 09.04.2021 तक शेष देय व दिनांक 10.04.2021 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।


एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- पट्टा नम्बर 101/2013-14, खसरा नम्बर 2945, प्लाट नम्बर 33, कटला बास, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन कुल क्षेत्रफल 354.80 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में मदन जांगिड़ की सम्पत्ति, उत्तर में लालचन्द सोनी की सम्पत्ति व दक्षिण में मोहन जी माली का प्लाट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख मात्र) दिनांक 06.03.2020 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्थी के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्थी या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज


जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना-कुचामन को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- पट्टा नम्बर 101/2013-14, खसरा नम्बर 2945, प्लॉट नम्बर 33, कटला बास, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन कुल क्षेत्रफल 354.80 वर्गगज जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में मदन जांगिड़ की सम्पत्ति, उत्तर में लालचन्द सोनी की सम्पत्ति व दक्षिण में मोहन जी माली का प्लॉट स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभालने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(सीताराम जट, IAS)

जिला कलक्टर मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन